न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर :– 68/2024
निर्णय दिनांक :– 23.01.2025
पीठासीन अधिकारी :–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. माया देवी पत्नी बनवारी .लाल शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम गोल्यावास बीड़ वालों की ढ़ाणी, श्रीराम विद्यालय के पास, मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर राज।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता :– श्री दौलतराम जाट अधिवक्ता वादी

वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय दिनांक:–23.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी आराजी खतौनी सं. 319 का आराजी खसरा नं. 4479/2 रकबा 0.9231 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फागी दक्षिण, पटवार हल्का फागी दक्षिण, भू.अभि.नि. क्षेत्र फागी तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है जिसमें वादीनी उपरोक्त हिस्सेनुसार उक्त आराजी की खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त होकर लगान सरकार जमा करवाती आ रही है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण की क्रयशुदा आराजी है। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 22/07/2013 को तस्दीक करवाते समय वादीनी का नाम सहवन से जरिये विक्रय पत्र तस्दीक करते समय ममता देवी पत्नी बनवारी लाल गलत इन्द्राज हो गया जबकि वादीनी का सही नाम माया देवी पत्नी बनवारी लाल शर्मा है। वादीनी के राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व बैंक पासबुक एवं अन्य सभी रिकार्ड में वादीनी का सही नाम माया देवी पत्नी बनवारी लाल शर्मा है जबकि माया देवी पत्नी बनवारी लाल शर्मा जाति हरिनारायण ब्राह्मण, गाँव में एक ही महिला है इसलिए वादीनी के नाम को राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादीनी उक्त आराजीयात की घोषणा व दुरस्ती इन्द्राज करवाने के अधिकारी है। वादीनी साक्षर व ग्रामीण परिवेश की महिला है जिसको विक्रय पत्र दिनांक 22/07/2013 में राज कर्मचारीयो द्वारा सहवन से गलत नाम दर्ज करने की जानकारी प्रारम्भ से ही नहीं रही है। अभी हाल ही दिनांक 21/08/2024 को वादीनी अपनी आराजी का पटवार हल्का के पास सीमाज्ञान करवाने गयी तो पटवार हल्का ने वादीनी को कहा कि आपके विक्रय पत्र दिनांक 22/07/2013 में तो आपका नाम गलत इन्द्राज हो

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

रखा है उक्त गलती को दुरूस्त कराने के लिये जब वादीनी प्रतिवादी के पास गयी तो प्रतिवादी ने दिनांक 21/08/2024 को उक्त गलती को दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा इसलिये यह वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वादीनी के अनपढ एवं नासमझ होने के कारण विक्रय पत्र दिनांक 22/07/2024 में वादीनी का नाम गलत दर्ज कर दिया गया एवं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है एवं दुरूस्ती के लिये उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीनी काश्तकार पेशा व गृहणी महिला है जिसकी आजीविका का एकमात्र साधन उक्त आराजी ही है यदि इसे दुरूस्त नहीं किया गया तो वादीनी के विधिक अधिकारों का हनन होगा एवं वादीनी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उक्त वाद में प्रतिवादी राज्य सरकार का कर्मचारी है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण उक्त अवधि वेव फरमाई जाकर न्यायालय की अनुमति से उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीनी को वाद कारण दिनांक 21/08/2024 को प्रतिवादी द्वारा वादीनी के नाम को दुरूस्त करने से इंकार करने एवं मान्य न्यायालय से आदेश लाने का कहने पर उक्त वाद मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाद वादीगण अन्दर मियाद प्रस्तुत है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन करने पर तहसीलदार फागी के जबाब की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीया का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 –2075 वाके ग्राम फागी दक्षिण मे स्थित उक्त विवादग्रस्त आराजी खाता सं. 319 में ममता देवी पत्नि बनवारी लाल हिस्सा पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहाम्ण सा0 टीबा की ढाणी गोल्यावास तहसील सांगानेर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया अपने वाद पत्र के मुताबिक अपने राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम ममता देवी पत्नि बनवारी के स्थान माया देवी पत्नि बनवारी दुरूस्त करवाना चाहता है। जबकि उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22.07.2013 के द्वारा सुनिल देवी पत्नि राजू उर्फ राजेन्द्र से कय की गई है जिसमे केता का नाम ममता देवी पत्नि बनवारीलाल अंकित है। उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र प्राप्त होने से वादीया का नाम

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे वादीया का वाद खारिज किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादीया का वाद खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/1/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

सत्यमेव जयते

माया देवी बनाम तहसीलदार
मु0न0:– 68 / 2024
निर्णय दिनांक:– 23.01.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. माया देवी पत्नी बनवारी लाल शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम गोल्यावास बीड़ वालों की ढ़ाणी, श्रीराम विद्यालय के पास, मानसरोवर जयपुर जिला जयपुर राज।

वादी

बनाम

1 तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला दूदू राज.।

प्रतिवादी

::– वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज ::–

मु0न0:– 68 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री दौलतराम जाट हाजिर रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह .....फीसदी.....
.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.01.2025 को जारी की गई।

दस्तखत 23/1/25
ओहदा उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

23/1/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला जयपुर